न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1435/2026
हुसैनगंज थाना कांड सं0–167/2025 से उत्पन्न
अंतर्गत धारा–191(2), 190, 126(2), 115(2), 76, 303(2), 352, 3(5) बी.एन.एस.
(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

रिया कुमारी व अन्य..... आवेदकगण/अभियुक्तगण
बनाम
बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री उपेंद्र कुमार मिश्र, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से
श्री अच्छेलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

27.07.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. रिया कुमारी 2. माला देवी 3. उर्मिला देवी 5. प्रभुनाथ सिंह 6. अभिराज सिंह 7. वृहस्पत सिंह की ओर से हुसैनगंज थाना कांड संख्या 167/2026, अंतर्गत धारा–191(2), 190, 126(2), 115(2), 76, 303(2), 352, 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचिका रेनू देवी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचिका के पति चार भाई हैं। वह अपने पति के साथ बाहर रहती है। सूचिका के पति के तीन भाई यहीं गॉव पर रहते हैं। सूचिका को एक छोटी बच्ची है। इसी कारण सूचिका के पति के तीनों भाई व उनके पुत्रगण प्रदीप सिंह, गोविंदा सिंह, राजकुमार सिंह, वृहस्पत सिंह, प्रभुनाथ सिंह, अविराज सिंह, माला देवी, उर्मिला देवी, रिया कुमारी सूचिका के हिस्से की जमीन जायदाद को हड़पने की नियत रखते है। सूचिका बाहर से अपने पति के साथ रिश्तेदार के यहॉ शादी में दिनांक 13.03.2026 को अपने निवास स्थान हसनपुरवा आई। सभी नामजद उसे देखते ही भून–भूनाने लगे। सूचिका किसी तरह रात भर अपने घर पर रही। सूचिका किसी तरह रात गुजारी। दिनांक 14.03.2026 को सुबह 09:30 बजे सूचिका के पति दूध लाने दुकान पर गए थे। सूचिका बरामदे में नहाने के लिए तैयारी कर रही थी, तभी सभी अभियुक्तगण बरामदे में नहाने को लेकर गंदी–गंदी गाली देने लगे। सूचिका विरोध की और घटना का वीडियो बनाने लगी। तब सभी अभियुक्त एक राय होकर उसका बाल पकड़कर उसे मारने लगे। सूचिका के हाथ से ओ0पो0 कंपनी का मोबाइल छीन लिये। सूचिका के गले से सोने की सिकड़ी भी नोच लिये। प्रदीप सिंह और गोविंदा सिंह काफी आक्रामक अंदाज में सूचिका के पास आकर उसका कपड़ा उठा दिए और निजी अंग का नाम लेकर लाठी ठुस देने को बोले तभी सूचिका के पति आएं तो उनको भी अभियुक्तगण मुक्का–थप्पड़ से मारे। अविराज सिंह लाठी से उसके सिर पर हमला किये। सूचिका अपना सिर बचाई तो सूचिका का बायां हाथ जख्मी हो गया। मारपीट के क्रम में माला देवी व उर्मिला देवी उसके कमरे में घुसकर उसके बैग से तीस हजार रूपया नगद निकाल लिये।

लगातार
27.07.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक बहस किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं इसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से आगे यह भी निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण स्वच्छ छवि के व्यक्ति है तथा उसके विरूद्ध कोई भी मुकद्मा दर्ज नहीं हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया कि प्राथमिकी छत्तीस दिनों के विलंब से दर्ज कराई गई है, विलंब से प्राथमिकी दर्ज कराने का कोई स्पष्ट कारण दर्शित नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के फरार होने तथा उसके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। अतः उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा सूचिका के साथ गाली–गलौज व अभद्रता करने तथा विरोध करने पर मारपीट करने एवं सूचिका की बहू के गले से सोने का मंगलसूत्र चोरी की नियत से खींचने का अभियोग है। अतः जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, हुसैनगंज थाना कांड संख्या 167/2026, अंतर्गत धारा–191(2), 190, 126(2), 115(2), 76, 303(2), 352, 3(5) बी.एन.एस., आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा सूचिका के नहाने के लिए जाने पर सभी अभियुक्तगण के द्वारा गंदी–गंदी गाली देने तथा सूचिका के विरोध करने पर उसका बाल पकड़कर उसे मारने तथा उसके मोबाइल को छीन लेने एवं सूचिका के गले से सोने की सिकड़ी भी नोच लेने तथा उसका कपड़ा उठा कर बेईज्जत करने एवं मारपीट करने के लिए संस्थित किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध बी.एन.एस. की धारा 126(2), 115(2), 352 के अंतर्गत लगाया गया अभियोग जमानतीय प्रकृति का है। कांड दैनिकी के कंडिका 19 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जख्मी रेणू देवी के शरीर पर पाये जाने वाला जख्म साधारण प्रकृति का है और सूचिका के पति उरेंद्र सिंह के शरीर पर कोई जख्म नहीं पाया गया। साक्षी सतेन्द्र सिंह ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने सूचिका का मोबाइल छीनते हुए और गले से सोने का चैन छीनते हुए नहीं देखा और घटना का कारण दोनों पक्षों के बीच घर एवं जगह जमीन के बंटवारे के विवाद को बताया(कांड दैनिकी के कंडिका 07 में वर्णित)। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगणा के विरूद्ध बी.एन.एस. की धारा 303(2), 76 के अंतर्गत लगाया गया अभियोग सतही एवं बनावटी प्रतीत होता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है (कांड दैनिकी की कंडिका 15 में वर्णित)।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगणा 1. रिया कुमारी 2. माला देवी 3. उर्मिला देवी 5. प्रभुनाथ सिंह 6. अभिराज सिंह 7. वृहस्पत सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकारयोग्य प्रतीत होता है। तद्नुसार उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा उसके द्वारा चार सप्ताह के अंदर संबंधित न्यायालय में

<u>लगातार</u>
<u>27.07.2026</u>

आत्मसमर्पण करने पर या गिरफ्तारी की अवस्था में उसकी ओर से विद्वान विचारण न्यायालय, सिवान के संतुष्टियोग्य मो0 20,000/—(बीस हजार) रूपये के समान राशि वाले दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण धारा 486 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अनुपालन हेतु शपथ पत्र से समर्थित उद्घोषण पत्र दाखिल करेंगे। दोनों प्रतिभू में से एक प्रतिभू आवेदकगण/अभियुक्तगण के निकट संबंधी होंगे। बंधपत्र दाखिल करते समय आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं प्रतिभूगण का मोबाईल नम्बर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

लेखापित
ह0/—
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सिवान।